(c) whether any action have been initiated to fix responsibility and punishment, if any; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE NDNISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): : (a) to (d) The Report of CAG has betn received in the Department of Steel which has already been placed in both Houses of Parliament on 11.6.1998. The Report is under examination.

Anti-Dumping Duty on Chinese Coke

3633. SHRI YADLAPATI VENKAT RAO: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the steel and pig iron manufacturers have contested the anti-dumping duty on Chinese coke;

(b) if so, the details thereof and the controversy over imposing anti-dumping duty on Chinese coke; and

(c) the measures taken to solve the problems of the steel and pig iron manufacturers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The steel and pig iron manufacturers have raised several issues before the Designated Authority in defence of their interests. These arguments include, inter-alia, the standing of the domestic industry to file the petition, definition *6i* "like article" and the basis of calculation of normal value. The Designated Authority has already conducted the oral hearing on 8.6.98, and all submissions of the exporters, importers, petitioners and other interested parties will be considered by the Designated Authority before arriving at the final findings in the matter.

खनिजों के लिए निर्धारित नीति

3634. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्लाः** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की खनिजों के निर्यात हेतु कोई स्थायी निर्यात नीति है जिसके अंतर्गत कम चर्चित खनिजों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके,

(ख) ऐसे कम चर्चित खनिजों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु किन किन राज्यों ने प्रस्ताव प्रेषित किए हैं,

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में पाए जाने वाले ऐसे खनिजों के निर्यात हेतु यदि कोई प्रयास किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है,

इस्पात तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) (क) खनिज के निर्यात को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समय समय पर घोषित निर्यात आयात नीति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तथापि, सबसे कम लोकप्रिय खनिजों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु इस प्रकार की कोई विशिष्ट नीति नहीं है।

(ख) और (ग) इस प्रकार के सबसे कम लोकप्रिय खनिजों के निर्यात के संबंध में राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार मशीनरी आयात करने हेतु निर्यातोन्मुखी यूनिटों को आयात शुल्क की रियायती दरें प्रदान कर रही है औऱ निर्यातकों द्वारा संसाधित अयस्कों औऱ खनिजों से प्राप्त आय को आयकर से मुक्त रखा गया है।

(घ) गुजरात राज्य में बाक्साइट, बेंटोनाइट, चूनापत्थर , डोलोमाइट, फायरबले , काओलिन (चाइनाक्ले) आदि प्रचूर मात्रा में हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र यूनिट, खनिज औऱ धातू व्यापार निगम लि. लौह अयस्क क्रोम अयस्क और प्रौग्नीज अयस्क का निर्यात कर रहा है। यह गूजरात के खनिज सम्पत्र कच्छ/जामनगर जिलों में उत्पादित ब्यवसइट औऱ बैंटोनाइट जैसे खनिजों के लिए भी निर्यात बजार का पता लाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, गुजरात सरकार ने खनिजों के निर्यातकों को संबंधित सूचना देने के लिए गुजरात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद् औऱ गुजरात निर्यात निगम की स्थापना की है।